न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 51/2010/अपील

डॉ. राकेश खण्डेलवाल पुत्र मदन लाल खण्डेलवाल, जाति खण्डेलवाल, निवासी सिल्वर जुबली रोड़, सीकर, मालिक कारोबार निहित हॉस्पिटल, देवीपुरा पैट्रोल पम्प के पास, तहसील व जिला सीकर।

अपीलान्ट

बनाम

खण्ड समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, सीकर।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः—

1. श्री अमर चन्द गोयल अधिवक्ता, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नन्द लाल पूनियां, प्रतिनिधि रेस्पोडेन्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994, विरूद्ध मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, सीकर आदेश दिनांक 09.062010

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

निर्णय दिनांक : 22दिसम्बर, 2017

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि अपीलांट द्वारा स्वयं के हॉस्पिटल में स्थापित सोनोग्राफी मशीन हेतु रेस्पोडेन्ट से सोनोग्राफी मशीन का रजिस्ट्रेशन संख्या PNDT/SKR/07/19 दिनांक 21.08.2007 प्राप्त किया हुआ है। उक्त रजिस्ट्रेशन को रेस्पोडेन्ट ने अनुचित, अनाधिकृत एवं अवैध कार्यवाही कर आदेश दिनांक 09.06.2010 के जरिये निलम्बित किया जाकर की प्रति दिनांक 10.09.2010 को उपलब्ध करवायी। अधीनस्थ खण्ड समुचित प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन निलम्बन किये जाने से पूर्व PCPNDT अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना नहीं कर कल्पना एवं अनुमान के आधार पर

रजिस्ट्रेशन निलम्बित किये जाने का आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा PCPNDT एक्ट 1994 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया तथा ना ही अपीलान्ट के यहां गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग चयन संबंधित कार्य किय जाता है और ना ही अपीलांट पर इस प्रकार का कोई आरोप लगाया गया है। PCPNDT एक्ट की धारा 20 के आज्ञापक प्रावधानों में रजिस्ट्रेशन निलम्बन से पूर्व संबंधित पक्ष को सुनवाई एवं जवाबदेही हेतु नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है लेकिन अधीनस्थ खण्ड समुचित प्राधिकारी ने ऐसा नहीं कर कल्पना एवं अनुमान के आधार पर उक्त आदेश पारित कर दिया। अधिनियम के धारा 20 की उपधारा 3 में वर्णित आधार पर भी लाईसेन्स को निलम्बित किये जाने से पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ खण्ड समुचित प्राधिकारी द्वारा दिनांक 09.06.2010 को कथित रूप से आदेश पारित नहीं कर अपीलांट द्वारा बार–बार प्रतिलिपि मांग कर कानूनी स्थिति प्रस्तुत किये जाने पर रेस्पोडेन्ट को विधिक नोटिस दिये जाने के बाद दुर्भावना से पीछे की तारीख अंकित कर विवादित आदेश पारित किया गया। लगभग तीन माह तक आदेश की प्रतिलिपि नहीं भिजवाना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अधीनस्थ खण्ड समुचित प्राधिकारी द्वारा दिनांक 09.06.2010 को आदेश पारित नहीं कर दुर्भावना से विवादित आदेश पारित करते हुए उस पर जून माह की तारीख अंकित की गई है। अतः अपील अपीलांट विरूद्व रेस्पोडेन्ट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित आदेश क्रमांक PCPNDT/010/82 दिनांक 09.06.2010 निरस्त किया जाकर खर्चा रेस्पोडेन्ट से दिलवाया जाना प्रार्थनीय है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री नन्द लाल पूनियां प्रतिनिधि CMHO, सीकर उपस्थित आये।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अपीलांट द्वारा PCPNDT एक्ट 1994 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया तथा ना ही अपीलान्ट के यहां गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व लिंग चयन संबंधित कार्य किय जाता है और ना ही अपीलांट पर इस प्रकर को कोई आरोप लगाया गया है। PCPNDT एक्ट की धारा 20 के आज्ञापक प्रावधानों में रजिस्ट्रेशन निलम्बन से पूर्व संबंधित पक्ष को सुनवाई एवं जवाबदेही हेतु नोटिस जारी किया जाना उचित एवं आवश्यक है, लेकिन अधीनस्थ खण्ड समुचित प्राधिकारी ने ऐसा नहीं कर कल्पना एवं अनुमान के आधार पर उक्त आदेश पारित कर दिया।

अधिनियम के धारा 20 की उपधारा 3 में वर्णित आधार पर भी लाईसेन्स को निलम्बित किये जाने से पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2010 निरस्त किया जाकर खर्चा रेस्पोडेन्ट से दिलवाया जाना प्रार्थनीय है।

5. प्रतिनिध रेस्पोडेन्ट ने अभिकथन किया कि दिनांक 04.06.2010 को डॉ. आर. के. मीणा समुचित प्राधिकारी (PCPNDT) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर व अन्य सदस्य डॉ. बी.एल. सैनी उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर, अरविन्द शर्मा पीसीपीएनडीटी समन्वयक द्वारा गवाहान के समक्ष निहित हॉस्पिटल, देवीपुरा पैट्रोल पम्प के पास, सीकर का गर्भाधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 के क्रियान्वयन के संबंध में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संस्थान के प्रतिनिधि डॉ. राकेश खण्डेलवाल व डॉ. वनिता खण्डेलवाल उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान सोनोग्राफी मशीन को मूल रूम से अन्य रूम में बिना सूचना के परिवर्तित कर दिया। आर.एम. सी. प्रमाण पत्र सोनोग्राफी कक्ष में नहीं मिला। रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सोनाग्राफी कक्ष की दीवार पर न होकर नीचे रखा पाया गया। लिंग परीक्षण कानूनी अपराध है का नोटिस बोर्ड सोनाग्राफी कक्ष में नहीं मिला। फार्म 'फ' पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं पाये गये। ड्रेस कोड नहीं पाया गया। उक्त निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है जिसकी वजह से इस हॉस्पिटल में संचालित सोनाग्राफी मशीन व इससे संबंधित अन्य सामग्री को जब्त व सील कर सीजर मीमो तैयार किया गया है। मौके पर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये व सीजशुदा सोनोग्राफी मशीन के वास्ते निगरानी डॉ. राकेश खण्डेलवाल व डॉ. वनिता खण्डेलवाल को सुपुर्द किया गया। उक्त मौका फर्द मौके पर ही उपस्थितों को पढ़ाया व सुनाया गया तो उन्होनें सही मानकर हस्ताक्षर किये हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. हमने योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया।

(1) सीजर मीमो रिपोर्ट, मौका फर्द रिपोर्ट, निरीक्षण प्रारूप से यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा संचालित निहित हॉस्पिटल, सीकर में गर्भाधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 के नियमों का उल्लंघन किया गया है, तथा अधिनियम की शर्तों की पालना नहीं की जा रही है।

(2) गर्भाधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 की धारा 20 की उपधारा 3 में यह वर्णित है कि उपधारा 1 व 2 में किसी बात के होते हुए भी, यदि समुचित प्राधिकारी की यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है तो वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्व करके उपधारा 1 में निर्दिष्ट ऐसी कोई सूचना जारी किये बिना, किसी आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक के रजिस्ट्रीकरण को निलम्बित कर सकेगा।

(3) रेस्पोडेन्ट प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि अपीलांट द्वारा नवीनीकरण अवधि समाप्त होने के पश्चात भी आज दिनांक तक अनुज्ञा–पत्र नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है। इसलिए अब इस प्रकरण में कोई सुनवाई का औचित्य नहीं है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा PCPNDT एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर